-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से 4.2 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ एक अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 09.12.2025 को देर रात्रि थाना नरैनी पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति सूखे गांजे के साथ मोटरसाइकिल से अजयगढ़ रोड ग्राम लहुरेटा पुलिया के पास खड़ा है । सूचना पर पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर तलाशी से सूखा गांजा बरामद हुआ । पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

- 04 किलो 200 ग्राम अवैध सूखा गांजा
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बृजकिशोर पुत्र हरिनाथ निवासी ग्राम घटहरी थाना प्रकाश बम्हौरी जनपद छतरपुर (म0प्र0) ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 392/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुनार
2. हे0 कां0 ललित कुमार
3. कां0 जितेन्द्र कुमार